न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु.नं. 18/15 तारीख रजू 6.5.15

उनवान – रामदयाल बनाम गिर्राज वगैरे

दावा बाबत घोषणा स्वोतदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल Ad. ने दावा बाबत घोषणा स्वोतदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया / दस्तावेजो का अवलोकन किया गया / दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को सम्मन से तलब कर दिनांक 11-5-15 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

581-80
6.5.15

11/5/15 वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादी नं० 7 की ओर से श्री राम भरोसी वकील ने वकालतनामा पेश किया / प्रतिवादी नं० 8 की ~~[illegible]~~ तामील उपस्थित नहीं / इसलिए इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है / प्रतिवादी नं० 2 लगायत 6 की नोटिस तामील होकर प्राप्त नहीं हुए हैं / इन्तजार नोटिस तलबी दिनांक 19-6-15 को पेश हो

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टो[illegible]

फर्द अहकाम

दिनांक	
	मे ख.नं. 157 रकबा 8 एयर, 160 रकबा 5 एयर मे से 1/2 हिस्सा तरफ उत्तर तथा ख.नं. 193 रकबा 23 एयर के सम्पूर्ण भाग को वादीगण नं. 4 ता. 8 को संवत 2051 में वही पर विक्रय कर कब्जा करा दिया। तब से कब्जा काश्त है। कब्जे के आधार पर वादी का दावा डिक्री किया जावे।
	सर्वप्रथम इस बिन्दू पर विचार किया गया कि वही मे लिखाबट के इकरारनामें के आधार पर प्रकरण की सुनवाई राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है या नही। इस संबंध मे राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प 5(6) राज-6/92/11 जयपुर दिनांक 5.4.2006 में स्पष्ट उल्लेख है कि "जिन मामलो मे विक्रय का अनुबंध (Agreement to sale) हो चुका है उन मामलो में विक्रय मानते हुए मामले

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम [illegible]

Scanned by CamScanner

ायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

को सुनवाई हेतु नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि (Agreement to sale) विक्रयनहीं है एवं (Agreement to sale) के संबंध में सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है ना कि राजस्व न्यायालय को"/

अतः उपरोक्त परिपत्र के अनुसार यह दावा Agreement to sale की प्रकृति का होने के कारण तथा इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

(जगदीश आर्य)
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

69 — 7.16